भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3730

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण

3730. श्री अतुल गर्ग:
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
डॉ. लता वानखेड़े:
श्री अरुण भारती:
श्रीमती शांभवी:
श्री राजेश वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-III (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और चालू की गई कुल सड़क की लंबाई कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार पिछले एक वर्ष के दौरान बारहमासी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए संवितरित कुल केंद्रीय धनराशि और प्रयुक्त राज्य के समान हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार इस योजना के तहत प्रमुख बाजार केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य केंद्रों से सफलतापूर्वक जोड़ी गई ग्रामीण बसावटों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या राष्ट्रीय गुणवत्ता के निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित किए गए किसी स्वतंत्र गुणवत्ता निरीक्षण में घटिया सड़क निर्माण कार्य का राज्य और जिला-वार ब्यौरा चिह्नित किया गया है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत निजी सड़क ठेकेदारों पर कड़े दीर्घकालिक रखरखाव अनुबंधों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) वर्ष 2019 में ग्रामीण आर्थिक विकास केंद्रों जैसे ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाले 1,25,000 किमी ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रारंभ की गई थी। पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए 12,348 कि.मी के 1,075 सड़क कार्य और 800 पुल स्वीकृत किए गए। इनमें से 12,089 किमी के 1,046 सड़क कार्य और 736 पुल पूर्ण किए जा चुके हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में पूर्ण की गई और चालू की गई सड़कों की लंबाई का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**लंबाई (कि.मी)**
2023-24	910
2024-25	559
2025-26	865

पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण एवं वर्तमान में प्रगतिरत सड़क लंबाई का विवरण नीचे दिया गया है:

आंध्र प्रदेश:			
वित्तीय वर्ष	स्वीकृत लंबाई (किमी)	पूर्ण लंबाई (किमी)	प्रगतिरत लंबाई (किमी)
2023-24	842.66	681.51	161.15
2024-25	60.42	0.00	60.42
2025-26	-	-	-
बिहार:			
वित्तीय वर्ष	स्वीकृत लंबाई (किमी)	पूर्ण लंबाई (किमी)	प्रगतिरत लंबाई (किमी)
2023-24	267.66	254.05	13.61
2024-25	28.15	6.22	21.93
2025-26	-	-	-

उत्तर प्रदेश:			
वित्तीय वर्ष	स्वीकृत लंबाई (किमी)	पूर्ण लंबाई (किमी)	प्रगतिरत लंबाई (किमी)
2023-24	447.79	239.78	207.92
2024-25	21.90	0.00	21.90
2025-26	-	-	-

अन्य राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत, पूर्ण एवं वर्तमान में प्रगतिरत सड़क लंबाई का राज्यवार विवरण कार्यक्रम के आधिकारिक एमआईएस पोर्टल https://pmgsy.dord.gov.in **>** Progress Monitoring **>** Physical Progress **>** State Brief पर देखा जा सकता है।

(ख) कार्यक्रम की कुल केंद्रीय हिस्सेदारी की जारी निधि तथा बारहमासी ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु समांतर राज्यांश सहित विगत एक वर्ष के दौरान हुए व्यय का राज्यवार विवरण, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) पीएमजीएसवाई-I का उद्देश्य असंबद्ध बसावटों को एकल बारहमासी संपर्क प्रदान करना था। इसके विपरीत पीएमजीएसवाई-III का फोकस विद्यमान थ्रू रूट्स तथा प्रमुख ग्रामीण लिंक मार्गों के सुदृढ़ीकरण पर है ताकि प्रमुख सामाजिक-आर्थिक विकास केंद्रों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत **6.96 लाख से अधिक सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं** को संपर्क प्रदान किया गया है, जिसमें **1.38 लाख कृषि बाजार (जीआरएएम)**, **1.46 लाख शैक्षणिक संस्थान** और **82,806 चिकित्सा सुविधाएं** शामिल हैं।

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत पात्र सड़कों के राज्यवार मानचित्रण में प्रमुख बाजार केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को जोड़ने वाले मार्ग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित देश भर में जोड़ी गई सुविधाओं का विवरण ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम (ओएमएमएएस) पर डिजिटल रूप से मॉनीटर किया जाता है और इसे https://pmgsy.dord.gov.in **>** other reports **>** facility reports पर देखा जा सकता है। पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान की गई बसावटों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** शामिल हैं।

(घ) स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर्स (एनक्यूएम) द्वारा गुणवत्ता निरीक्षण किए जाते हैं, जो सुधार अथवा संशोधन की आवश्यकता वाले सड़क निर्माण कार्यों की पहचान करते हैं, जिन्हें "असंतोषजनक" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकारों को अंतिम बिल भुगतान से पूर्व पहचानी गई कमियों को ठेकेदार के माध्यम से दूर कराना अनिवार्य है। एनक्यूएम

ग्रेडिंग का राज्य एवं जिलावार सारांश (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित) ओएमएमएएस पोर्टल **https://pmgsy.dord.gov.in** (**Quality > 3rd Tier (National Quality Monitor) Reports > Grading Abstract** पर गतिशील रूप से बनाए रखा जाता है।

(ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार ने कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित संविदात्मक, वित्तीय एवं डिजिटल निगरानी तंत्र स्थापित किया है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. **अनिवार्य पांच वर्षीय रखरखाव दायित्व:** पीएमजीएसवाई निर्माण संविदाओं में पूर्णता की तिथि से **पांच वर्षीय दोष दायित्व अवधि (डीएलपी)** का प्रावधान है, जिसके दौरान वही ठेकेदार नियमित रखरखाव तथा सड़क एवं संबद्ध संरचनाओं को उपयोग योग्य/दोष-मुक्त स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठेकेदार को अभियंता द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर कमियों को दूर करना आवश्यक है।
2. **ईमार्ग के माध्यम से निष्पादन-आधारित रखरखाव:** पांच वर्षीय डीएलपी अवधि के दौरान रखरखाव की निगरानी **ईमार्ग (इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स)** के माध्यम से निष्पादन-आधारित रखरखाव संविदा (पीबीएमसी) के सिद्धांतों पर की जाती है। ठेकेदार के निष्पादन का मूल्यांकन केवल किए गए रखरखाव कार्य की मात्रा के बजाय निर्धारित सेवा स्तरों के आधार पर किया जाता है। पीआईयू निरीक्षण, जियो-टैग फोटोग्राफ, निष्पादन मूल्यांकन, बिल प्रसंस्करण एवं भुगतान इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाते हैं।
3. **रखरखाव निष्पादन से जुड़ा भुगतान:** ईमार्ग के अंतर्गत, रखरखाव भुगतान सड़क के निष्पादन मूल्यांकन (पीई) से जुड़ा होता है। जहां निष्पादन स्कोर **80 प्रतिशत से कम होता है, वहां भुगतान जारी नहीं किया जाता**, जबकि 80 से 100 के बीच स्कोर के लिए प्राप्त निष्पादन के अनुरूप भुगतान किया जाता है। इससे ठेकेदारों को निर्धारित मानकों को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।
4. **नियमित निरीक्षण और जवाबदेही:** ठेकेदारों को रखरखाव के अंतर्गत सड़कों का नियमित निरीक्षण करना तथा कमियों की स्थिति/सुधार की रिपोर्ट देना आवश्यक है। पीआईयू अधिकारी जियो-टैग फोटोग्राफ का उपयोग करते हुए ईमार्ग के माध्यम से रखरखाव निष्पादन का स्वतंत्र मूल्यांकन करते हैं। प्रणाली निष्पादन मूल्यांकन में संभावित विसंगतियों को चिह्नित करने के लिए फोटोग्राफ की एआई-सहायता प्राप्त संवीक्षा का भी उपयोग करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुदृढ़ होती है।
5. **डीएलपी-पश्चात रखरखाव:** प्रारंभिक पांच वर्षीय डीएलपी अवधि के पश्चात स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु, अनुवर्ती रखरखाव की निगरानी के लिए ईमार्ग का **डीएलपी-**

पश्चात मॉड्यूल भी प्रारंभ किया गया है। डीएलपी-पश्चात रखरखाव हेतु मानक बोली दस्तावेज़ में **न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए निष्पादन-आधारित रखरखाव** का प्रावधान है, जिसमें निष्पादन प्रतिभूति तथा ठेकेदार द्वारा निर्धारित रखरखाव न किए जाने की स्थिति में वसूली/शास्ति के प्रावधान शामिल हैं।

6. **राज्य रखरखाव नीतियां एवं निधि निगरानी:** राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त रखरखाव निधि उपलब्ध कराना आवश्यक है तथा उनकी रखरखाव प्रतिबद्धताओं और व्यय की निगरानी **ओएमएमएएस/ईमार्ग** के माध्यम से की जाती है। राज्य-विशिष्ट उपयुक्त रखरखाव नीतियों को अपनाने हेतु राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को एक ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति ढांचा भी उपलब्ध कराया गया है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ये प्रावधान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित सभी कार्यान्वयन राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में लागू होते हैं।

अनुबंध-I

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3730 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित जारी राशि एवं व्यय का राज्यवार विवरण

(करोड़ में)

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**जारी राशि**	**व्यय (राज्यांश सहित)**
1	अंडमान और निकोबार	0.00	12.14
2	**आंध्र प्रदेश**	**118.74**	**432.40**
3	अरुणाचल प्रदेश	490.98	775.52
4	असम	229.91	211.38
5	**बिहार**	**386.88**	**1288.01**
6	छत्तीसगढ़	557.23	357.12
7	गोवा	0.00	0.00
8	गुजरात	126.82	281.14
9	हरियाणा	0.05	4.23
10	हिमाचल प्रदेश	936.32	1356.64
11	जम्मू और कश्मीर	261.87	420.50
12	झारखंड	150.54	631.64
13	कर्नाटक	36.13	48.94
14	केरल	130.35	271.42
15	लद्दाख	76.25	107.15
16	**मध्य प्रदेश**	**460.88**	**763.23**
17	महाराष्ट्र	529.73	1402.23
18	मणिपुर	49.24	40.99
19	मेघालय	351.04	388.09
20	मिजोरम	86.12	121.00
21	नागालैंड	78.84	121.43
22	ओडिशा	285.61	447.72
23	पुडुचेरी	0.98	6.56

24	पंजाब	137.07	369.79
25	राजस्थान	221.46	314.94
26	सिक्किम	115.14	175.99
27	तमिलनाडु	508.74	1465.19
28	तेलंगाना	209.80	527.56
29	त्रिपुरा	142.40	186.73
30	उत्तर प्रदेश	138.93	648.75
31	उत्तराखंड	446.16	595.17
32	पश्चिम बंगाल	534.31	1140.56
कुल		**7798.51**	**14914.16**

अनुबंध-II

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3730 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार संपर्क स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जोड़ी गई बसावटें (संख्या)
1	अंडमान और निकोबार	7
2	**आंध्र प्रदेश**	**1,416**
3	अरुणाचल प्रदेश	622
4	असम	13,721
5	**बिहार**	**31,293**
6	छत्तीसगढ़	10,691
7	गोवा	1
8	गुजरात	3,047
9	हरियाणा	1
10	हिमाचल प्रदेश	2,559
11	जम्मू और कश्मीर	2,132
12	झारखंड	10,953
13	कर्नाटक	295
14	केरल	401
15	**मध्य प्रदेश**	**17,493**
16	महाराष्ट्र	1,417
17	मणिपुर	622
18	मेघालय	597
19	मिजोरम	231
20	नागालैंड	107
21	ओडिशा	16,991
22	पंजाब	389
23	राजस्थान	15,970
24	सिक्किम	350
25	तमिलनाडु	1,985

26	त्रिपुरा	1,982
27	**उत्तर प्रदेश**	**11,748**
28	उत्तराखंड	1,860
29	पश्चिम बंगाल	13,224
30	तेलंगाना	703
31	लद्दाख	64
कुल		**162,872**
